न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 501/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पूनमाराम पुत्र लच्छाराम 2– हीराराम पुत्र लच्छाराम 3– रताराम पुत्र अमेदाराम 4– भेराराम पुत्र रेखाराम सभी जातियान जाट निवासीगण सुथारो का कुंआ, हाथीतला, तहसील बाडमेर		1– अचलाराम पुत्र रेखाराम 2– गोमाराम पुत्र रेखाराम 3– तीजो देवी पत्नी रेखाराम 4– कुम्भाराम पुत्र नवलाराम 5– हरजीराम पुत्र नवलाराम 6– श्रीमती मिरगो पत्नी नवलाराम 7– चिमाराम पुत्र मगाराम 8– गोरधनराम पुत्र मगाराम 9– मानाराम पुत्र मगाराम 10–हीराराम पुत्र आदूराम 11–दमाराम पुत्र आदूराम 12–कसुम्बी पत्नी आदूराम जातियान जाट निवासी डुंगेरो का तलां, हाथीतला, तहसील व जिला बाडमेर 13–वगताराम पुत्र लच्छाराम 14–श्रीमती दलूदेवी पत्नी लच्छाराम 15–खेताराम पुत्र अमेदाराम 16–रामाराम पुत्र अमेदाराम 17–बाबू पुत्र भीखाराम सभी जातियान जाट निवासीगण सुथारो का कुंआ, हाथीतलां, तहसील बाडमेर 18–हनुमान पुत्र पीरा 19–पोकर पुत्र पीरा 20–सोनी पत्नी पीरा 21–खेराज पुत्र चीमाराम 22–भानाराम पुत्र हीराराम 23–पुरखाराम पुत्र जैसाराम 24–दुर्गाराम पुत्र नवलाराम 25–चुतराराम पुत्र नवलाराम 26–केशाराम पुत्र नवलाराम 27–दोली पत्नी नवलाराम सभी जातियान जाट 28–गेमरसिह राणसिह 29–शंभूसिह पुत्र राणसिह 30–श्यामसिह पुत्र सगतसिह 31–दीपसिह पुत्र सगतसिह 32–श्रीमती मीरकंवर पत्नी सगतसिह 33–अनोपसिह पुत्र भेरसिह 34–उदयसिह पुत्र भेरसिह 35–चेलसिह पुत्र भेरसिह जातियान राजपूत सभी निवासीगण डूंगरो का तला, हाथीतलां तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30–11–2015 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1453/2015 अनवान अचला वगैरा बनाम पूनमा वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1— श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2— श्री तेजाराम चौधरी रेस्पो0 संख्या 1 से 12 की ओर से ।
3— शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22—2—2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 12 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि उसके खेत के पडौस मे वर्तमान अपीलांटगण के खेत आये हुए है, जिसके लिए पक्षकारो के मध्य आपस मे विवाद होता है, जिस विवाद को समाप्त करने के लिए अपने खातेदारी की भूमि का सीमांकन कर अलग—अलग मुटाम कायम कर पत्थरगढी करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—11—2015 को पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण को पक्षकार अवश्य बनाया परंतु उनके नोटिस सी.पी. सी. के प्रावधानो के अनुसार प्रोपर तामिल करवाये बिना तथा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक आदेश पारित नही कर एक प्रशासनिक आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पेश करने से पूर्व कोई खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान का कोई आदेश पारित नही किया गया और न ही सीमाज्ञान करवाई गई, जबकि विधि मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी नेखमबंदी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व सीमा ज्ञान करवाया जाना आवश्यक है इसलिए आलौच्य आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो की अनदेखी करते हुए पारित किया गया होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि सीमाओ का विवाद होने पर मौके पर आवेदनकर्ता की जमीन कम होने एवं रेवेन्यु रेकर्ड मे ज्यादा दर्ज होने के कारण उसकी पूर्ति करने के लिए अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि पर नेखमबंदी

की जा रही है, जिससे अपीलांटगण की खातेदारी भूमि कम हो रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी इसलिए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–11–2015 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे सभी पक्षकारो को नोटिस जारी कर बाद तामिल के अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट का यह मौखिक कथन कि अधीनस्थ न्यायालय मे तामिल पर्याप्त नही थी, यह तथ्य रेकर्ड अनुसार सही नही है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 9–7–16 उपलब्ध है, जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार उपस्थित मौतबिरान के अरूबरू तैयार की जाकर पेश की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तामिलसुदा नोटिसेज के अवलोकन से प्रकट है कि तो तामिल पूर्ण है परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 9–7–16 मे दोनो पक्षो का एक दूसरे की भूमि पर कब्जे का तथ्य आया है तथा दोनो पक्षकारो के मध्य सीमा विवाद का तथ्य प्रकट हुआ है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाधीन खसरा नंबर 445/411 की भूमि पर पक्के नेखम स्थापित करने का हेतु जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–11–2015 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण मे पहले

उभयपक्ष (अपीलांट एवं रेस्पो0गण) को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति मे विवादित भूमि की विधिवत सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करावे तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पर कोई विवाद होने पर पक्षकारान को सुनकर नेखमबंदी बाबत नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर